संख्या:63/2022/175/35-4-2022

प्रेषक,

ऋषिकेश दुबे,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हरदोई।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 25 फरवरी, 2022

विषय: वित्तीय वर्ष 2021-22 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद-हरदोई के विधान सभा क्षेत्र-गोपामऊ में राजकीय पालीटेक्निक-भड़ायल सदर गोपामऊ हरदोई के भवन निर्माण की शासनादेश संख्या-19/2020/258/35-4-2020 दिनांक 17 फरवरी,2020 द्वारा रू. 1792.68 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. 200.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। तत्पश्चात शासनादेश दिनांक 20 जनवरी, 2021 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू. 268.90 लाख, शासनादेश दिनांक 23 मार्च, 2021 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में रू. 268.90 लाख तथा शासनादेश 131/2021/1265/35-4-2021 दिनांक 18 अगस्त, 2021 द्वारा चतुर्थ किश्त के रूप में रू. 965.25 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी। इस प्रकार प्रश्नगत कार्य हेतु कुल रू. 1703.05 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। जिलाधिकारी, हरदोई के पत्र सं0-611/त्व0आ0वि0यो0/2019-20/2021-22, दिनांक 29.10.2021 द्वारा उक्त राजकीय पालीटेक्निक के भवन निर्माण कार्य में मिट्टी भराई की लागत को सम्मिलित करते हुये पुनरीक्षित आगणन प्रेषित किया गया। एतद्द्वारा उक्त राजकीय पालीटेक्निक के भवन निर्माण कार्य की मूल अनुमोदित लागत रू. 1792.68 लाख में मिट्टी भराई की अनुमोदित लागत रू. 74.46 लाख को सम्मिलित करते हुये कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति को रू. 1867.14 लाख पर पुनरीक्षित किए जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 17 फरवरी, 2020 की शर्तें यथावत लागू रहेगी।
(2) प्रश्नगत कार्य हेतु शासनादेश संख्या-19/2020/258/35-4-2020 दिनांक 17 फरवरी,2020 द्वारा अवमुक्त धनराशि रू. 200.00 लाख को प्रथम किश्त, शासनादेश दिनांक 20 जनवरी, 2021 द्वारा अवमुक्त धनराशि रू. 268.90 लाख को द्वितीय किश्त, शासनादेश दिनांक 23 मार्च, 2021 द्वारा अवमुक्त धनराशि रू. 268.90 लाख को तृतीय किश्त तथा शासनादेश दिनांक 18 अगस्त, 2021 द्वारा अवमुक्त धनराशि रू. 965.25 लाख को चतुर्थ किश्त के रूप में आंकलित किया जायेगा।
(3) जिलाधिकारी द्वारा पुनरीक्षित/स्वीकृत आगणन के अनुसार कार्य हेतु कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ-साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध कराई जायेगी।
(4) वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप दिनाक 22 मार्च, 2021 में निहित व्यवस्थानुसार कार्यदायी संस्था को आवश्यकतानुसार दो-दो माह की धनराशि निर्गत की जायेगी।
(5) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी तथा कार्यदायी संस्था यह सुनिश्चित करेगी, कि कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण हो जाय।
(6) परियोजना में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टयां इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना नहीं किया जायेगा। परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कॉस्ट ओवर रन न हो इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (7) में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(7) प्रशा0 विभाग द्वारा यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यो की गुणवत्ता उच्च कोटि की हो समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यो की मानिटरिंग भी की जायेगी।
(8) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(9) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति को रोकने के दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(10) कार्यदायी संस्था द्वारा लेबरसेस के भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चत की जायेगी।

(11) प्रश्नगत निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन तैयार कर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के साथ-साथ वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्थानुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(12) वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप दिनॉक 22 मार्च, 2021 का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण करा लिया जायेगा एवं भविष्य में पुनः पुनरीक्षित लागत पर विचार नहीं किया जायेगा।

(14) अवमुक्त की गयी सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उपलब्ध कराया जायेगा।

(15) सामग्री एवं सेवाओं के क्रय के लिये सुसंगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(16) प्रश्नगत निर्माण कार्य में मिट्टी भराई की गणना हेतु जिलाधिकारी द्वारा गठित तकनीकी समिति द्वारा कार्य स्थल के क्षेत्रफल 24604.78 व0मी0 हेतु स्थल निरीक्षण एवं कन्टूर के आधार पर 29279.68 घ0मी0 मिट्टी भराई की आवश्यकता बतायी गयी है, जिसके लिये कार्यदायी संस्था द्वारा रू. 91.47 लाख का आगणन/प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। प्रायोजना की मूल स्वीकृति के समय निर्माण कार्य हेतु भूमि की उपलब्धता 2 हेक्टेयर बतायी गयी थी किन्तु मिट्टी भराई हेतु कार्य स्थल का क्षेत्रफल 24604.78 व0मी0 बताया गया है एवं इसी के अनुसार मिट्टी की मात्रा की गणना की गयी है। मिट्टी भराई हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल में से समस्त भवनों के निर्माण का क्षेत्रफल 4314.78 व0मी0 को हटाते हुए शेष क्षेत्रफल हेतु मिट्टी भराई की लागत रू. 74.46 लाख (जी0एस0टी0 सहित) अनुमन्य की गयी है।

2- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-5-3528/दस/2021-2022 दिनांक 24 फरवरी, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(ऋषिकेश दुबे)
विशेष सचिव।

संख्या:63/2022/175(1)/35-4-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज (इलाहाबाद)।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज (इलाहाबाद)।
3- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ0प्र0शासन।
4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0शासन।
6- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, लखनऊ।
8- निदेशक, प्राविधिक शिक्षा विभाग, कानपुर, उ0प्र0।
9- निदेशक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, नीलगिरी काम्पलेक्स, लखनऊ।
10- मुख्य विकास अधिकारी, हरदोई।
11- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरदोई।
12- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, हरदोई।
14- परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, हरदोई।
15- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ऋषिकेश दुबे)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in